

[11/8/2021]

प्रश्न सं. [क. 748]

(परिधि 68 - 41 01)

कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला राजगढ़ (व्यावरा)
क्र./विधि/2021 /685 राजगढ़ , दिनांक 22/7/2021

प्रति,

1. श्री ए.के. रावत ,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
2. किशोर महाजन ,
मत्स्य निरीक्षक
मत्स्य विभाग जिला राजगढ़ ।


विषय :- गाडगंगा मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या. रतनपुरिया तहसील खिलजीपुर
की सदस्यता के संबंध में स्पष्ट जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भ :- आपका जांच प्रतिवेदन दिनांक 26/11/2019

-00-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित दिनांक को आपके द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसका कार्यालय द्वारा परीक्षण कराया जाने पर पाया गया है कि आपके जांच प्रतिवेदन में सदस्यता के संबंध में तथ्यात्मक स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाकर अपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संस्था की पात्र /वैध सदस्यता के संबंध में स्पष्ट तथ्यात्मक प्रतिवेदन 7 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।


उपायुक्त
सहकारिता

जिला राजगढ़ म.प्र.


क्र./विधि/2021 /685


राजगढ़ दिनांक 22/7/2021

प्रतिलिपि:-

सहायक संचालक, मत्स्य विभाग जिला राजगढ़ म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।


उपायुक्त
सहकारिता


उपायुक्त
सहकारिता
जिला राजगढ़ म.प्र.


अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग